

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 163/2023 GCMS NO. 2023/455 उनवानी नन्दसिंह आदि बनाम गोपाल सिंह आदि अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>06.08.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता उभय पक्षकारान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये तथा न ही पक्षकारान हाजिर आये। न्यायालय समय तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। इसके उपरान्त भी अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। उभय पक्षकारान स्वयं भी हाजिर नहीं आये तथा न ही उभय पक्षकारान की ओर से अन्य कोई हाजिर आया। अतः प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="171 861 427 1123" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="763 819 908 976" style="text-align: center;"> </div> </div> <p style="text-align: center;">(सविता शर्मा) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी</p>	